

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,
अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 11/2/19

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें, उपमुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 090- सचिवालय, उपशीर्ष- 0017-आपदा प्रबंधन विभाग, विपत्र कोड- 39-2251000900017 के अन्तर्गत कुल ₹19,00,000 (उन्नीस लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें, उपमुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 090- सचिवालय, उपशीर्ष- 0017-आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्नप्रकार है :-
लघु शीर्ष-090- सचिवालय।
उपशीर्ष-0017- आपदा प्रबंधन विभाग।
मांग संख्या-39

(राशि रुपये में)

क्र.	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	2	3	4	5	6
1.	01-वेतन	01 वेतन	30000000 (तीन करोड़)	0 (शून्य)	30000000 (तीन करोड़)
2.		02 विशेष वेतन	4000 (चार हजार)	0 (शून्य)	4000 (चार हजार)
3.		03 जीवन यापन भत्ता	600000 (छः लाख)	0 (शून्य)	600000 (छः लाख)
4.		04 मकान किराया भत्ता	1400000 (चौदह लाख)	0 (शून्य)	1400000 (चौदह लाख)
5.		05 परिवहन भत्ता	400000 (चार लाख)	0 (शून्य)	400000 (चार लाख)
6.		06 चिकित्सा भत्ता	1700000 (सतरह लाख)	0 (शून्य)	1700000 (सतरह लाख)
7.		07 अन्य भत्ता	33000 (तेतीस हजार)	0 (शून्य)	33000 (तेतीस हजार)
योग 01-वेतन			3,41,37,000 (तीन करोड़ इकतालीस लाख सैतीस हजार)	0 (शून्य)	3,41,37,000 (तीन करोड़ इकतालीस लाख सैतीस हजार)
8.	05-पुरस्कार	01 पुरस्कार	307000 (तीन लाख सात हजार)	0 (शून्य)	307000 (तीन लाख सात हजार)
9.	06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	300000 (तीन लाख)	0 (शून्य)	300000 (तीन लाख)

क्र.	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	2	3	4	5	6
10.	11-यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	500000 (पाँच लाख)	0 (शून्य)	500000 (पाँच लाख)
11.	13-कार्यालयी व्यय	01 कार्यालय व्यय	1100000 (ग्यारह लाख)	900000 (नौ लाख)	2000000 (बीस लाख)
12.		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	600000 (छः लाख)	1000000 (दस लाख)	1600000 (सोलह लाख)
13.		03 दूरभाष	350000 (तीन लाख पचास हजार)	0 (शून्य)	350000 (तीन लाख पचास हजार)
14.		04 विद्युत प्रभार	300000 (तीन लाख)	0 (शून्य)	300000 (तीन लाख)
15.		05 विधि प्रभार	33000 (तेतीस हजार)	0 (शून्य)	33000 (तेतीस हजार)
16.		06 वर्दी/ पोशाक	30000 (तीस हजार)	0 (शून्य)	30000 (तीस हजार)
17.		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	100000 (एक लाख)	0 (शून्य)	100000 (एक लाख)
18.		16 -प्रकाशन	01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000 (एक लाख)	0 (शून्य)
19.	20 -अन्य प्रशासनिक व्यय	01 आतिथ्य व्यय	50000 (पचास हजार)	0 (शून्य)	50000 (पचास हजार)
20.		03 प्रशिक्षण व्यय	100000 (एक लाख)	0 (शून्य)	100000 (एक लाख)
21.	28- व्यावसायिक सेवाएँ	02 संविदा सेवाएँ	4700000 (सैतालीस लाख)	0 (शून्य)	4700000 (सैतालीस लाख)
22.	51 -मोटर वाहन	01 मोटरगाड़ी-कार्यालय	3400000 (चौतीस लाख)	0 (शून्य)	3400000 (चौतीस लाख)
योग -39- 2251-00-090-0017- आपदा प्रबंधन विभाग			4,61,07,000 (चार करोड़ इकसठ लाख सात हजार)	19,00,000 (उन्नीस लाख)	4,80,07,000 (चार करोड़ अस्सी लाख सात हजार)

4. उक्त आवंटन विभागीय विशेष कार्य पदाधिकारी (लेखा) द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि यात्रा व्यय, कार्यालयी व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएँ आदि विस्तृत शीर्षों में मितव्ययिता बरती जाय तथा इन सभी में व्यय आवश्यकता को देखते हुए ही किया जाय।

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 [वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। उक्त मद के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

6. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

7. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक- 81 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 1/2/19
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 81 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 1/2/19
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना तथा आवश्यक कर्वाइ हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 81 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 1/2/19
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 81 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 1/2/19
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / सांख्यिकी पदाधिकारी / कार्यवाह सहायक / लेखाशाखा (दो प्रति में) / आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाइ हेतु प्रेषित।

अपर सचिव